

(C)

## FORM NO. III

2022/242

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी वि. पिपरीगढी

किसम मुकद्दमा किकल बनाम शंकर

प्रा.पत्र 128 नं. 172/2022 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/6/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>दिक डिया खेले</u>.....की ग्राम.....की आ.न. <u>१८२७७/०.१५</u> श.न. <u>५२५</u> <u>०.१३</u> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>1000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>Om.</u> उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	<p style="text-align: center;">3/164 20/6</p>

